रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 116] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, मई 25, 1972/ज्येष्ठ 4, 1894

No. 116] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 25, 1972/JYAISTHA 4, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 25th May 1972

SUBJECT:—*Export Policy for Iron and Steel and Ferro Alloys during the licensing period April 1972—March 1973.*

No. 11-ETC(PN)/72.—It has been decided that Export policy of Ferro Chrome (other than Ferro Chrome containing less than 0.03 per cent carbon and nitrogen bearing Ferro Chrome)/Silico Chrome shown against item No. 18(ii) of Part 'B' of Schedule I to the Exports (Control) Order, 1968 in Annexure to Public Notice No. 4-ETC(PN)/72 dated the 1st April, 1972, should be "On Merits" instead of "Export Allowed".

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 25 मई, 1972

विषय : अप्रैल, 1972—मार्च, 1973 लाइसस अवधि के दौरान लोहा तथा इस्पात और लोह-मिश्र धातु के लिए निर्यात नीति ।

संख्या 11–आई० टी० सी० (पी० एन०)/72.—इस बात का निश्चय किया गया है कि सार्वजनिक सूचना संख्या 4-आईटीसी (पीएन/72, दिनाक 1 अप्रैल, 1972 के परिशिष्ट में निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 के सूचक–1 के भाग 'बी') की मद संख्या 18(ii) के सामने दिखाए गए फेरो क्रोम (0.03 प्रतिशत से कम कार्बन वाले तथा नाइट्रोजन वाले फेरो क्रोम से भिन्न फेरो क्रोम)/सिलिको क्रोम की निर्यात नीति "निर्यात स्वीकृत है" के बजाए "पात्रता के आधार पर" होनी चाहिए ;

एम० एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972.